

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह
तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)
त्वरित न्यायालय गाजियाबाद
मूल वाद सं०—1231 / 2017

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ
हापुड़ रोड गाजियाबाद द्वारा श्री दीनानाथ,
अनुसचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।वादी

बनाम

1. आशा राज पत्नी श्री तिलकराज,
निवासी—बी—19 / बी—3, आई०आई०टी०
कैम्पस हौज खास दिल्ली—16
2. श्रीमति सीमा अग्रवाल पुत्री श्री वेदप्रकाश
मित्तल, निवासी—ए—5, आर—7 राजनगर
गाजियाबाद।प्रतिवादीगण

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश
बाबत निरस्तीकरण विक्रय पत्र दिनांक
25.02.2006 दायर की है लिहाजा आपको
हुक्म होता है कि आप बतारीख 26 माह 08
सन् 2025 बावक्त 10:00 बजे दिन के
असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमे
के हालात से करार वाकई वाकिफ किया
गया हो और कुल उमूरात अहम मुतल्लिका
मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ
कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे
सवालात दे सके, हाजिर हो और जनवा देही
दावा की करें, और आपका लाजिम है कि
उसी रोज आपके जुमला दस्तावेज पेश करें
जिन पर आप बताईद आनी जवाबदेही के
इस्तदमाल करना चाहते हों।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर
बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो
मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूअ और
फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत
के आज बतारीख 19 माह 07 सन् 2025 ई०
जारी किया गया।

आज्ञा से मुन्सरिम
न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)
त्वरित न्यायालय
गाजियाबाद